संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं

मध्यप्रदेश

ई-मेल idspssu@mp.gov.in दूरभाष क्रमॉक 0755-2527170

क्रमॉक/आई.डी.एस.पी/कोविड-19/2020/ 847 **भोपाल,दिनॉक 12/06/2020**

प्रति,

1. कलेक्टर (समस्त)
2. आयुक्त,नगर निगम / नगर पालिका निगम (समस्त)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)

विषयः-विभिन्न धार्मिक प्रतिष्ठानों / पूजा स्थलों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल एवं कार्यस्थल पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देश ।

संदर्भः-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत आई.डी.एस.पी. सेल के द्वारा जारी

1. एकांकी दुकानों के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश क्रमॉक 737 दिनॉक 2.6.2020
2. कार्यस्थल में कोविड-19 संचरण की रोकथाम दिशा-निर्देश क्रमॉक 753 दिनॉक 5.6.2020
3. धार्मिक प्रतिष्ठानों के लिए पूजा स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सॉवधानियों के संबंध में दिशा-निर्देश क्रमॉक 748 दिनॉक 5.6.2020
4. शॉपिंग मॉल के लिए संक्रमण से बचाव हेतु दिशा-निर्देश क्रमॉक 768 दिनॉक 6.6.2020
5. होटल तथा अन्य अतिथि प्रबन्धन ईकाईयों के लिए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश क्रमॉक 777 दिनॉक 6.6.2020

-000-

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा विभिन्न धार्मिक प्रतिष्ठानों / पूजा स्थलों पर, कार्यस्थल, एकांकी दुकान एवं शॉपिंग मॉल तथा होटल एवं अन्य अतिथि प्रबन्धन ईकाईयों में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने के बचाने के लिए दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । लॉकडाउन के प्रथम चरण में दिनॉक 01जून,2020 से इस संबंध में छूट दी गई थी साथ ही यह भी दिशा-निर्देश दिये गये थे कि :-

- सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मॉस्क लगाना होगा ।
- आपस में एक दूसरे से कम से कम 01 या 02 मीटर की दूरी बनाये रखना होगी जिससे कि सोशल डिस्टेन्सिग का पालन किया जा सकें ।
- हाथों की स्वच्छता हेतु हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था अथवा हेण्ड सेनिटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ।
- एक समय में सीमित संख्या में ही व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए ।
- सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए ।
- आरोग्य सेतु एप मोबाईल में डाउन लोड किया जाए ।
- प्रतिदिन 01% हाईपो क्लोराईड साल्युशन से विसंक्रमण की कार्यवाही की जाए।

लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट के बाद से यह देखा गया है कि विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है फलस्वरूप कोविड संक्रमण के फैलने की आशंका बनी हुई है । यदि इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है तो इससे कोविड–19 का संक्रमण सामुदायिक संक्रमण में बदल सकता है तथा यह स्थिति भयावह होगी । अतः आप अपने जिलें में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त उल्लेखित प्रतिष्ठानों / कार्यस्थलों पर विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष दल गठित करें एवं उक्त दल द्वारा नियमित रूप से ऐसे प्रतिष्ठानों / कार्यस्थलों का निरीक्षण कर यह निश्चित करें कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है । विशेष दल में निम्न विभागों के अधिकारी / कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा सकता है :–

1. राजस्व विभाग के अधिकारी
2. नगर पालिका / नगर निगम के अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)
3. ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)
4. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
5. महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी

प्रत्येक जिले में विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार के विशेष दल गठित किये जाना चाहिए । शहरी क्षेत्रों में वार्ड / जोन स्तर पर इस प्रकार के दल गठित किये जाने चाहिए । विशेष दल द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण की चेक लिस्ट संलग्न है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

(फैज अहमद किदवई)
वि.क.अ.एवं स्वास्थ्य,आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0/आई.डी.एस.पी/कोविड–19/2020/ 848 **भोपाल,दिनॉक /06/2020**
प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ ।

1/ अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय–वल्लभ भवन, भोपाल।
2/ प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय–वल्लभ भवन, भोपाल।
3/ मिशन संचालक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश ।
4/ प्रभारी कोविड–19 कन्ट्रोल रूम ।

हस्ता0/–

वि.क.अ.एवं स्वास्थ्य,आयुक्त
मध्यप्रदेश

कोविड 19 परिपेक्ष्य के एकांकी दुकानों के संचालन हेतु निरीक्षण चेकलिस्ट

कं.	बिन्दु	रिमार्क	
1	एकाकी दुकानों में सभी कर्मचारी मास्क व ग्लहव्स पहन कर कार्य कर रहे है?	हां	नहीं
2	दुकान के बाहर कर्मचारियों/ग्राहको के हेण्ड सैनेटाईजेशन के लिए हेण्ड सैनेटाईजर अथवा साबुन–पानी की व्यवस्था है?	हां	नहीं
3	दुकान में आने वाले ग्राहकों द्वारा मास्क पहन कर ही प्रवेश किया जा रहा है?	हां	नहीं
4	दुकान में क्षेत्रफल के अनुसार सीमित ग्राहकों को दुकान मे प्रवेश दिया जा रहा है ?	हां	नहीं
5	दुकानों मे काउंटर टॉप, रैलिन्ग, दरवाजें के हेण्डल, आदि को नियमित अंतराल पर 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जाता है?	हां	नहीं
6	दुकान संचालक द्वारा केवल स्वस्थ्य कर्मचारियों द्वारा काम लिया जा रहा है ?	हां	नहीं
7	दुकान के बाहर कोविड 19 संबंधी प्रसार सामग्री प्रदर्शित है?	हां	नहीं
8	दुकान संचालक को जिला कोविड 19 हेल्प लाईन नम्बर की जानकारी है ?	हां	नहीं
9	दुकान संचालक एवं कार्यरत कर्मचारियों के मोबाईल में **"आरोग्य सेतु"** एप उपलब्ध है?	हां	नहीं
10	क्या दुकानों मे आने वाले ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखी जाती है?	हां	नहीं
11	क्या दुकान मे ई–पेमेन्ट की सुविधा है? यदि नहीं तो क्या कैश काउंटर पर करेन्सी को सैनेटाईज करने की सुविधा है?	हां	नहीं
12	क्या दुकान परिसर मे ढक्कन युक्त पैर से संचालित कचरा पात्र की व्यवस्था है?	हां	नहीं

दुकान का नाम :–	
पता :–	
रिमार्क :–	
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
दिनांक	

कार्यस्थल में कोविड–19 के संक्रमण नियंत्रण हेतु चेकलिस्ट

क्रं	बिन्दु	रिमार्क	
1.	कार्यालय के प्रवेश गेट पर सभी अधिकारी / कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है?	हॉ	नही
2.	कार्यालय में COVID-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री प्रदर्शित है?	हॉ	नही
3.	कार्यस्थल में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा मास्क पहने जा रहे है?	हॉ	नही
4.	कार्यस्थल में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जा रहा है ?	हॉ	नही
5.	कार्यस्थल में प्रवेश द्वार पर हेण्ड सैनेटाईजर डिस्पेन्सर उपलब्ध किया गया है?	हॉ	नही
6.	कार्यालय में समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के मोबाईल में **"आरोग्य सेतु एप"** डाउनलोड किया गया है?	हॉ	नही
7.	कार्यालय में संचालित लिफ्ट में सीमित लोगों के उपयोग हेतु निर्देश प्रदर्शित किये गये है?	हॉ	नही
8.	कार्यस्थल पर न थुकने की चेतावनी प्रदर्शित की गई है?	हॉ	नही
9.	कार्यालय में AC संचालन हेतु CPWD द्वारा जारी **24°C-30°C** तापमान एंव ह्यूमिडिटी **40-70%** रखी गइ जा रही है?	हॉ	नही
10	वाहन चालक द्वारा वाहन को बार–बार संपर्क में आने वाली सतहों जैसे–स्टेयरिंग, हेण्डल, आदि को 1% हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जा रहा है?	हॉ	नही
11	कार्यस्थल के समस्त वॉशरूम / पेयजल स्थान, कॉरिडोर, लौबी एरिया, लिफ्ट, स्विच, दरवाजे के हेण्डल, रैलिंग , कार्य टेबल, बैंचे, की–पेड, माउस वॉश रूम, नल (Faucets) बैठने हेतु सोफे / कुर्सी आदि को समय समय पर 1% हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जा रहा है?	हॉ	न्ही
12	कैंटिन मे भोजन सर्व करने वाले कर्मचारी अथवा सफाई करने वाले कर्मचारियो के द्वारा मास्क, ग्लहव्स पहन कर कार्य किया जा रहा है ?	हॉ	नही
13	कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जा रहा है ?	हॉ	नही

कार्यालय का नाम :–	
पता :–	
रिमार्क :–	
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
दिनांक	

कोविड–19 के परिपेक्ष्य में धार्मिक प्रतिष्ठानों /पूजा स्थलों के निरीक्षण हेतु चेकलिस्ट

1.	धार्मिक संस्थान में कार्यरत सेवादारों /कर्मचारियों द्वारा मास्क पूर्णरुप से पहने जा रहे है ?	हॉ/नही
2.	धार्मिक संस्था में पूजा या अन्य कार्य करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है ?	हॉ/नही
3.	धार्मिक संस्थान में हाथ धाने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था है ?	हॉ/नही
4.	धार्मिक संस्थान में सेवादारों द्वारा सेनेटाईजर का उपयोग किया जा रहा है ?	हॉ/नही
5.	धार्मिक संस्थान में सेवादारों को जिला COVID-19 हेल्पलाईन की जानकारी है ?	हॉ/नही
6.	धार्मिक संस्थान में सेवादारों/अन्य कर्मचारी के मोबाईल में **"आरोग्य सेतु एप"** डाउनलोड है ?	हॉ/नही
7.	धार्मिक संस्थान के प्रवेश द्वार पर हेण्ड सेनेटाईजर डिस्पेन्सर उपलब्ध है ?	हॉ/नही
8.	धार्मिक संस्थान में प्रवेश के पहले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है ?	हॉ/नही
9.	धार्मिक संस्थान में COVID-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री प्रदर्शित है ?	हॉ/नही
10.	धार्मिक संस्थान में सामाजिक दूरी हेतु कतार में खड़े रहने के लिए कम से कम 6 फीट की दुरी के मान से गोले बनाए गए है ?	हॉ/नही
11.	धार्मिक संस्थान में प्रवेश एंव निकास द्वार पृथक पृथक है ?	हॉ/नही
12.	धार्मिक संस्थान में संचालित दुकान /स्टॉल/कैफेटेरिया संचालक द्वारा सोशल डिस्टेनसिंग का पालन किया जाता है ?	हॉ/नही
13.	धार्मिक संस्थान में ढक्कन वाले डस्टिबिन उपलब्ध है ?	हॉ/नही
14.	धार्मिक संस्थान में ए.सी.उपलब्ध है ? यदि हॉ तो AC संचालक हेतु CPWD द्वारा जारी 24-30°**C** तापमान एंव ह्यूमिडिटी 40-70**%** रखी गई है ?	हॉ/नही
15.	क्या धार्मिक संस्थान में प्रसाद/चरणामृत अथवा किसी भी प्रकार का छिड़काव आदि किया जा रहा है ?	हॉ/नही
16.	धार्मिक संस्थान में अत्याधिक संपर्क में आने वाली सतह/वस्तुऍ (घंटी, रेलिंग, नल आदि) का समय–समय पर विसंक्रमण 1**%** सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा हो रहा है ?	हॉ/नही

धार्मिक प्रतिष्ठान / पूजा स्थल का नाम ....
पता... .
रिमार्क :–
निरिक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
निरिक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
निरिक्षणकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर
निरिक्षण दिनॉक...........................

शापिंग मॉल में कोविड 19 के बचाव हेतु व्यवस्था चेकलिस्ट

क्रं.	बिन्दु	रिमार्क	
1	शापिंग मॉल में ग्राहकों, कर्मचारियों की थर्मल स्कीनिंग कर ही प्रवेश दिया जा रहा है?	हां	नहीं
2	प्रवेश स्थान पर एवं मॉल की दुकानों में हेण्ड सैनेटाईजर डिस्पेन्सर उपलब्ध किया जा रहा है?	हां	नहीं
3	मॉल तथा पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेनसिंग नियम का पालन किया जा रहा है?	हां	नहीं
4	मॉल एवं मॉल में संचालित सभी दुकानों के कर्मचारियों द्वारा मास्क/फेस कवर पहना जा रहा है?	हां	नहीं
5	मॉल में Valet पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। यदि हां तो संबंधित मॉल स्टॉफ द्वारा मास्क, ग्लहव्स पहना जा रहा है?	हां	नहीं
6	मॉल में संचालित डिपार्टमेन्टल स्टोर में Queue Management हेतु ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेनसिंग अनुसार गोले बनायें गये है?	हां	नहीं
7	मॉल में संचालित आउटलेट्स द्वारा होमडिलिवरी की सुविधा उपलब्ध है। यदि हां तो डिलीवरी करने वाले स्टॉफ का डिलीवरी के पूर्व थर्मल स्कीनिंग की जा रही है?	हां	नहीं
8	मॉल मे समस्त वॉशरूम/पेयजल स्थान को एवं अत्यधिक सम्पर्क में आने वाली सतह जैसे लिफ्ट के बटन, दरवाजे के हेण्डल, रैलिंग, बैंचे आदि को 1% हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जा रहा है?	हां	नहीं
9	मॉल में संचालित दुकान में सीमित ग्राहकों को प्रवेश दिया जा रहा है?	हां	नहीं
10	मॉल मे ए.सी. का संचालन, सी.पी.डब्ल्यू.डी. दिशानिर्देश अनुसार 24°C से 30 °C एवं ह्यूमिडिटी 40% से 70% पर किया जा रहा है?	हां	नहीं
11	मॉल के प्रमुख स्थान (प्रवेश, निर्गम द्वार, बैठक एरिया) पर कोविड 19 प्रसार सामग्री प्रदर्शित की जा रही है?	हां	नहीं
12	मॉल में आने वाले व्यक्ति को आरोग्य सेतू एप्लीकेशन ना होने पर डाउनलोड करने की समझाईश दी जा रही है?	हां	नहीं
13	मॉल में संचालित गेमिंग पूल, बच्चों का प्ले एरिया एवं मल्टीप्लेक्स बंद किये गये है?	हां	नहीं
14	मॉल मे संचालित रेस्टोरेन्ट/फूड कोर्ट मे भोजन सर्व करने वाले कर्मचारी अथवा सफाई करने वाले कर्मचारियो द्वारा मास्क, ग्लहव्स पहन कर कार्य किया जा रहा है?	हां	नहीं

शापिंग मॉल का नाम :–	
पता :–	
रिमार्क :–	
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
दिनांक	

होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाईयों मे कोविड 19 संक्रमण नियंत्रण व्यवस्था निरीक्षण चेकलिस्ट

क्रं.	बिन्दु	रिमार्क	
1	होटल में प्रवेश के पूर्व सभी अतिथियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है?	हां	नहीं
2	होटल के समस्त स्टॉफ द्वारा पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर जैसे फेस कवर/मास्क/ग्लव्हस पहना जा रहा है?	हां	नहीं
3	होटल में प्रवेश द्वार पर हेण्ड सैनेटाईजर डिस्पेन्सर उपलब्ध है?	हां	नहीं
4	होटल में आने वाले गेस्ट की ट्रेवल हिस्ट्री एवं मेडिकल हिस्ट्री के साथ पर्सनल आई.डी. तथा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म का संधारण किया जा रहा है?	हां	नहीं
5	होटल मे केवल स्वस्थ्य व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है?	हां	नहीं
6	होटल में संचालित लिफ्ट में सीमित लोगों के उपयोग हेतु निर्देश प्रदर्शित किये गये है?	हां	नहीं
7	होटल मे प्रवेश निकास द्वार पृथक किये गये है? यदि प्रवेश व निकास हेतु एक ही द्वार है तो बैरीकेडिंग की व्यवस्था की गई है ?	हां	नहीं
8	होटल में संचालित रेस्टोरेन्ट/डायनिंग कोर्ट में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन किया जा रहा है ?	हां	नहीं
9	खाना सर्व करने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा मास्क ग्लहव्य पहन कर खाना सर्व किया जा रहा है?	हां	नहीं
10	क्या होटल द्वारा Valet पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यदि हां तो संबंधित स्टॉफ द्वारा मास्क, ग्लहव्स पहने जा रहे है, एवं गाडी के स्टेयरिंग, दरवाजे के हेण्डल को विसंक्रमण किया जा रहा है?	हां	नहीं
11	मॉल मे ए.सी. का संचालन, सी.पी.डब्ल्यू.डी. दिशानिर्देश अनुसार 24°C से 30 °C एवं ह्यूमिडिटी 40% से 70% पर किया जा रहा है?	हां	नहीं
12	क्या होटल मे किसी तरह के समारोह/आयोजन की अनुमति है?	हां	नहीं
13	होटल के कॉरिडोर, लौबी एरिया, लिफ्ट, वॉश रूम, नल (Faucets) बैठने हेतु सोफे/कुर्सी आदि को समय समय पर 1% हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमण किया जा रहा है?	हां	नहीं
14	होटल रेस्टोरेन्ट मे फूड ऑर्डर के लिए ई–मैनू/क्यूआर. कोड उपलब्ध किया गया है?	हां	नहीं

15	होटल में भुगतान हेतु डिजीटन पेमेन्ट की सुविधा उपलब्ध की गई है?	हां	नहीं
16	होटल में आने वाले गेस्ट का सामान रूम मे ले जाने से पहले विसंक्रमित किया जा रहा है?	हां	नहीं
17	होटल मे प्रमुख स्थानों (प्रवेश, लॉबी, रेस्टोरेन्ट) में कोविड 19 के संबंध में प्रसार सामग्री प्रदर्शित की गई है?	हां	नहीं
18	होटल में गेमिंग पूल, प्ले एरिया, बंद किये गये है?	हां	नहीं
19	क्या होटल में गेस्ट एवं कर्मचारियों के लिए मास्क एवं ग्लहव्स उपलब्ध करवाये गये है?	हां	नहीं
20	होटल में हेंडल, लिफ्ट के बटन, हेण्डरेल्स, बैन्च, वॉशरूम में एवं अतिथियों के बैठने की जगहों पर व कॉमन एरिया को 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जा रहा है?	हां	नहीं
22	होटल रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन्स का उपयोग किया जा रहा है?	हां	नहीं
23	होटल में उपयोग में लिये गये पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर एवं डिस्पोजेबल पेपर नेपकिन का निष्कासन नियमानुसार किया जा रहा है।	हां	नहीं

होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाई का नाम :–	
पता :–	
रिमार्क :–	
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
निरीक्षक का नाम –	हस्ताक्षर
दिनांक	